Rs.301/—

(118)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल म0प्र0ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

(म0प्र0)

III/पुनर्विलोकन/रीवा/भू.रा./2017/2268

महेन्द्र प्रसाद मिश्र पिता स्व0श्री देवीदीन उम्र 61 साल निवासी ग्राम भलुहा, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा म0प्र0

अधि0 श्री मोरध्वज सिंह द्वारा पेश। 19-7-17

..................आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

केशव प्रसाद मिश्र (मृत) वारिस—

राकेश कुमार पिता स्व0केशव प्रसाद निवासी ग्राम भलुहा,तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा म0प्र0

...........अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र बिरूद्ध माननीय राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्र0क्र03309–दो/2012 आदेश दिनांक 27.6.2017.

अन्तर्गत धारा 51म0प्र0भू0रा0सं0सन1959ई.

मान्यवर,

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्न है:–

1. यह कि माननीय न्यायालय मे श्रीमान अपर जिलाध्यक्ष महोदय के प्र0क016ए74/06-07 आदेश दिनांक 24.8.2009 एवं निगरानी प्र0क0 129/निगरानी/2009-2010 आदेश दिनांक 29.8.2012 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के बिरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, उक्त प्रस्तुत निगरानी मे माननीय न्यायालय द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 24.8.2009 को मूल आदेश मानकर निगरानी दायर मानकर निरस्त की गई है तथा माना गया है कि अपर कलेक्टर के आदेश के बिरूद्ध अपील होनी चाहिये, इसलिये प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गयी है। इसके लिये यह स्पस्ट किया जा रहा है ,अपर कलेक्टर रीवा का मूल आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III/पुर्नविलोकन/रीवा/भू.रा./2017/2268

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–9–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का अवलोकन किया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गयी है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	